

महिला जनप्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन, नई दिल्ली, मार्च 5-6, 2016 में

माननीय लोक सभा अध्यक्ष का उद्घाटन भाषण

**Welcome Address of HS at the National Conference of Women Legislators,
New Delhi, March 5–6, 2016.**

1. It is my great pleasure and honour to welcome all of you to this first ever National Conference of Women Legislators in India.

2. We are beholden to the Esteemed Rashtrapatiji, for accepting our request to inaugurate this National Conference. The President of India is an integral part of our Parliament and Shri Pranab Mukherjee represents in himself the finest qualities of a virtuous Head of State, an able and experienced administrator and an outstanding parliamentarian. As such, his words of wisdom, based on many years of intimate association with the highest institution of governance, will indeed set the tone for the discussions to follow in the Conference. It is worth mentioning in this context that the Hon'ble Rashtrapatiji, in his Address to the Members of Parliament on 23rd February, has said that in future the Government would induct women in all the fighter streams of our Armed Forces. This is a matter of pride and source of encouragement to all of us.

3. I am grateful to the respected Up-Rashtrapati ji for his benign (बिनाईन) presence in this Conference. He too, has rich and varied experience in the working of the administrative and legislative institutions. I extend a hearty welcome to Shri Hamid Ansariji.

4. The august presence of the respected Prime Minister has enhanced the profile and prestige of this Conference. We look forward to hearing his enlightened views at the Valedictory Session of the Conference tomorrow.

5. I am particularly delighted to welcome my sister, the Hon'ble Speaker of the Bangladesh Parliament, Dr. Shirin Sharmin Chaudhury, who also happens to be the chairperson of Commonwealth Parliamentary Association and who has very gladly acceded to my request to grace this Conference. We are thankful to her and eagerly await her learned exposition at the Plenary Session which she will be chairing.

6. With great pleasure, I welcome the women legislators who have gathered here today, especially those sisters who have come from the State and Union Territory Legislatures and my colleagues in both the houses. I am delighted that large number of women legislators from Legislative Councils and Assemblies of most States of the country are attending this Conference. We are sure that they will participate in the sessions with utmost involvement and give invaluable insights into the different dimensions of the Agenda Items.

7. I also extend a warm welcome to Hon. Ministers, Members of Parliament, distinguished panelists, domain experts, invitees and members of the media.

8. देवियो और सज़नो! जैसा मैंने आरम्भ में कहा, यह पहला अवसर है जब अपने देश के राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की महिला जन-प्रतिनिधि तथा सांसद एक मंच पर एकत्र हो रही हैं। यह बात इस सम्मेलन को विलक्षण बनाती है और इसे एक विशेष महत्व प्रदान करती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इसके पीछे के विचार और उद्देश्य को हम गहराई से समझें। मूल विचार और उद्देश्य यह खोजना है कि राष्ट्र-निर्माण के किसी एक नहीं, विविध पक्षों और क्षेत्रों में महिला जन प्रतिनिधि क्या और कैसे अपना विशिष्ट योगदान दे सकती हैं। कैसे, विशिष्ट अधिकारों से सम्पन्न महिलाओं का यह शक्तिशाली समूह सशक्त, गौरवशाली भारत के निर्माण में एक अग्रणी, नई और प्रभावी भूमिका निभा सकता है? How women Legislators can contribute towards building Resurgent India?

9. इस सत्र के बाद के मुख्य सत्र और फिर तीन विशेष सत्रों में यह सम्मेलन इस पर गहन विचार-विमर्श करेगा कि देश के सामाजिक विकास (social development), आर्थिक विकास (economic development), अभिशासन (governance) तथा विधेयन (legislation) के चार महत्वपूर्ण आयामों में

महिला जन-प्रतिनिधि कैसे अपनी भूमिका का पुनराविष्कार (re-invent) करते हुए एक नई दृष्टि, प्रेरणा और संकल्प से सम्पन्न हो सकती हैं। इस मंथन को सघन, सृजनात्मक तथा उत्पादक बनाने के लिए हर सत्र विषय को उप-विषयों (sub-themes) में बाँटा गया है। लेकिन मूल विषय एक है- **सशक्त देश के निर्माण में महिला जनप्रतिनिधियों की एक बेहतर, स्पष्टतर और अधिक प्रभावी भूमिका।**

10. मन में प्रश्न उठ सकता है, महिला जन-प्रतिनिधियों का ही सम्मेलन क्यों? इसलिए कि महिलाएं नैसर्गिक प्रबन्धक होती हैं। परिवार हो या समाज या सार्वजनिक जीवन, एक मां, बेटी, पत्नी, बहू, नागरिक एवं कार्यरत व्यक्ति के रूप में महिला विभिन्न परिस्थितियों, क्षेत्रों, भूमिकाओं और परिवार के सदस्यों के बीच सहज ही सामंजस्य कुशलता से स्थापित कर लेती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की चौपाई है-

‘मुखिआ मुखु सो चाहिऐ, खान-पान कहुं एक।

पालइ-पोषइ सकल अंग तुलसी सहित बिबेक।।’

11. आज की स्त्री अपनी विभिन्न भूमिकाओं में मुखिया की इस परिभाषा पर खरी उतरती है जो मुख की तरह सभी अंगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विवेक के साथ पालती-पोषित करती है। महिला जन-प्रतिनिधियों पर तो यह परिभाषा विशेष रूप से लागू होती है। देश या प्रदेश की सर्वाधिक शक्तिसंपन्न, नियामक संस्थाओं की सदस्य होने के नाते वह देश की मुखिया ही हैं। इस रूप में क्या वह उस विवेक का सम्यक् प्रयोग कर रही हैं जो प्रकृति ने उन्हें सहज ही दिया है और जिसकी विशेष अपेक्षा उनकी यह अधिकार-संपन्न भूमिका करती है? जनप्रतिनिधि होने के साथ-साथ घर की जिम्मेदारियों का दायित्व भी उन पर रहता है।

12. एक विशाल और जीवन्त लोकतन्त्र की जीवन यात्रा में आने वाले सभी उतार-चढ़ावों, मोड़ों, सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तनों, आर्थिक विकास-मंदी के सभी संभावित चक्रों से गुजरते हुए भारत ने अपने आपको विश्व-मंच पर एक परिपक्व और गतिमान लोकतंत्र तथा एक सुदृढ़, तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में पूरी तरह स्थापित कर दिया है। भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं ने समय और परिवर्तन की अग्नि-परीक्षाओं से गुजर कर अपनी सार्थकता को सिद्ध किया है। पूरे विश्व में भारत की सुदृढ़ लोकतांत्रिक प्रणाली की चर्चा है, सराहना है। भारत विश्व-पटल पर एक सशक्त, मूल्यवान, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले, सबसे युवा और गतिशील देश बनने के पथ पर तेजी से अग्रसर है।

13. लेकिन किसी राष्ट्र की सर्वांगीण और सन्तुलित प्रगति के लिए केवल आर्थिक विकास दर का, प्रति व्यक्ति आय या निवेश के उंचे स्तर का होना ही काफी नहीं हैं। आर्थिक प्रगति के साथ-साथ सामाजिक विकास और बेहतर अभिशासन (good governance) भी उतना ही आवश्यक है। आप सब मुझसे सहमत

होंगे कि देश का विकास राज्यों के विकास पर ही निर्भर करता है। **Development of country depends upon the development of States.** इसलिए महिला जन-प्रतिनिधि, विधायक, सांसद सबकी इसमें अहम् भूमिका एवं जिम्मेदारी है।

14. पिछले दशकों में भारत में स्त्रियों ने हर क्षेत्र में उपलब्धियों की बड़ी छलांगें लगाई हैं। संविधान के 73वें संशोधन ने ग्राम सभा के स्तर पर लगभग 12 लाख ग्रामीण स्त्रियों को स्थानीय नेतृत्व का अभूतपूर्व अवसर दिया है। महिलाओं ने अपनी उत्साहपूर्ण भागीदारी से इसका औचित्य सिद्ध किया है। विधान सभाओं तथा विधान परिषदों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। सोलहवीं लोक सभा में अब तक की सबसे बड़ी संख्या में महिलाएं चुन कर आई हैं। लेकिन स्त्री सशक्तिकरण की व्यापक चर्चा कार्यक्रमों, योजनाओं के और स्त्रियों के बड़ी संख्या में नेतृत्व की भूमिकाओं में आने के बाद देश के जीवन, राजनीति, अभिशासन, आर्थिक विकास आदि प्रमुख क्षेत्रों में वह प्रभाव दिखना भी चाहिए जिसकी सामर्थ्य उनमें है।

15. अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का 2015 का एक अध्ययन कहता है कि यदि भारत के कुल कार्यबल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर हो जाए तो देश के G.D.P. में 27 प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह केवल आर्थिक क्षेत्र में उस छलांग का एक उदाहरण है जो स्त्रियों की आर्थिक/रोजगार समानता से मिल सकती है। अगर विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व में प्रभावी भागीदारी की चुनौती वे स्वीकार करें, तो देश की तस्वीर बदल जाएगी।

16. मेरा ऐसा मानना है कि यदि सशक्तिकरण की चर्चा का कोई सार निकालना है तो वह तब तक संभव नहीं है जब तक जानकारी और उससे जुड़े तंत्र को दुरुस्त न किया जाए। मैं समझती हूँ कि महिला सांसदों और विधायकों पर यह काफी हद तक लागू होता है। उनके कार्य की दक्षता का आकलन असमान जानकारी के धरातल पर नहीं हो सकता। अपने संसदीय जीवन में मैंने देखा है कि विषयों की गूढ़ता दिनों-दिन बढ़ी है। पर्याप्त जानकारी न सिर्फ विषयों पर बल्कि उनसे जुड़े संस्थानों, सरकारी कार्यक्रमों एवं वित्त से जुड़े प्रावधानों पर भी आवश्यक है। इसके अभाव में न सिर्फ महिला सांसदों तथा महिला विधायकों की दक्षता पर असर पड़ सकता है बल्कि उनकी उपस्थिति से राष्ट्र और उनके राज्य की कार्यपालिका के नीति-निर्धारण में जो सहयोग मिलना चाहिए, वह भी नहीं मिल पायेगा। अतः, यह अत्यन्त आवश्यक है कि व्यवस्था तंत्र में वे सभी परिवर्तन हों जो वास्तविक रूप से सामान्य स्तर पर भी महिला सांसदों एवं विधायकों को विषयों की जटिलता से परिचित करा सकें। ऐसा होने पर ही महिलाओं की उपस्थिति से जिस गुणात्मक परिवर्तन की आशा की जाती है, वह साकार हो सकती है। पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति बढ़ी है, लेकिन उनका काम भी उपरोक्त खामियों से प्रभावित रहा है। इस स्तर पर भी नए प्रयासों से हम परिवर्तन कर सकते हैं।

17. इस विचार से आगामी महिला दिवस हेतु जब मुझे कई तरह के सुझाव मिले तो मैंने किसी औपचारिक कार्यक्रम की योजना के बजाए एक संगोष्ठी के आयोजन का विचार किया। इसके अन्तर्गत तीन

महत्वपूर्ण मुद्दों का हमने नियोजन किया। ये हैं— सामाजिक, आर्थिक एवं शासन प्रणाली। ये तीनों विषय आपस में जुड़े हुए हैं और एक-दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। साथ ही, महिला सांसद-विधायक जब एक साथ बैठेंगे, तो मेरा विश्वास है कि आपसी अनुभव एवं चर्चा से हम विभिन्न चुनौतियों से सामना करने के कई रास्ते निकाल सकते हैं। मेरा अनुभव है कि महिला सांसद तथा विधायक कई दफा वित्तीय विषयों को छोड़कर सिर्फ महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर संसद या विधानसभा में बोलना चाहती हैं या उनसे ऐसी अपेक्षा की जाती है, **इससे** वे अपने सशक्तिकरण की पहल में कहीं पीछे रह सकती हैं। उन्हें महिलाओं के विषय में तो बोलना चाहिए ही, साथ ही वित्त और देश के सामने खड़े **तमाम विषयों में भी समान रुचि दिखानी चाहिए।** मुद्रा बैंक क्या है? क्या कार्य कर रहा है? उसे राष्ट्रीय स्तर से हमारे स्थानीय स्तरों तक कैसे ले जाया जाए? Sustainable Development Goals क्या हैं? उनसे आर्थिक प्रगति कैसे संभव है, इत्यादि कई ऐसे सवाल हैं जिनसे हमारा जुड़ाव आवश्यक है।

18. आर्थिक पहलुओं का आज के समय में महत्व और भी बढ़ गया है। मनरेगा के तहत खातों में सीधे पैसा देने का कार्यक्रम, जन-धन योजना एवं इससे जुड़े निगरानी और सतर्कता के मुद्दे अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इन पहलुओं से जुड़े तमाम जानकारी के सूत्र न सिर्फ हमारे पास होने चाहिए बल्कि हमें अन्य महिलाओं को भी उनके अधिकारों और जिम्मेदारी के लिए आगे लाना चाहिए। यह काम हम अन्य क्षेत्रों में भी कर सकते हैं। जैसा कि यह अक्सर देखा गया है कि खेतों में तो महिलाएं कार्य करती हैं परन्तु जब कृषि विज्ञान केन्द्रों में फसल के संबंध में जानना हो, तो अधिकतर पुरुष ही जाते हैं। महिलाओं को विज्ञान और तकनीक (IT) के विभिन्न आयामों पर साथ लाने का प्रयास करना चाहिए। **Women friendly tools के संबंध में समुचित विचार नहीं हुआ है।**

19. हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि यह जुड़ाव ही महिला सांसदों एवं विधायकों की तमाम समितियों एवं अन्य स्थानों पर निगरानी की भूमिका को सशक्त कर सकता है। वर्षों से परिवार में सतर्कता की भूमिका निभा रही महिला निश्चय ही देश में राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तरों पर यह भूमिका निभाने में सक्षम हैं। मैं समझती हूँ कि कृष्ण की तरह महिला सांसद एवं विधायक विकास के भारतीय परिदृश्य में सारथी बन कर उसे एक सही दिशा दे सकती हैं। कण्णगी, रानी रौम्मा, चांदबीबी, गार्गी, मेत्रैयी, मल्लिनाथ, पद्मिनी, जीजाबाई, रानी गेंडिन्ल्यू, अहिल्याबाई, रानी झांसी और इंदिरा गांधी जैसी अनेक महिलाओं ने अपने कर्तृत्व से प्रशासनिक क्षमता, सक्षम नेतृत्व एवं राष्ट्रीय सोच के जो मानचित्र हमारे सामने रखे हैं, उससे महिला जन-प्रतिनिधिगण प्रेरणा ले सकती हैं। यह प्रेरणा उनकी विभिन्न भूमिकाओं में मदद कर सकती हैं। यह न सिर्फ जनप्रतिनिधि की भूमिका होगी अपितु, एक ऐसी भूमिका होगी जो गहरे, दीर्घकालिक और व्यापक सामाजिक बदलाव की ओर देश के सशक्त कदम बढ़ाने में योगदान करेगी।

20. मुझे पूरा विश्वास है इस सम्मेलन में होने वाली चर्चाएं बहुत उपयोगी, सोद्देश्य तथा समाधानपरक होंगी। इस प्रयास से जो तस्वीर, भविष्य की दिशाएं, रणनीतियां और संकल्प निकल कर आएंगे, उनसे हमारी महिला जन-प्रतिनिधियों के सशक्त भारत निर्माण में योगदान का गौरवशाली अध्याय शुरू होगा। आज यहां इस सम्मेलन का जो थीम सांग (गीत) "उम्मीदम" प्रस्तुत हुआ है, उसके गीतकार श्री प्रसून जोशी, संगीतकार श्री शंकर महादेवन एवं गायिका सुश्री रसिका शेखर एवं श्रीनिधि घटाटे का हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने इस गीत में स्त्री शक्ति की कल्पना कल-कल बहती नदी से की है। यह सही भी है- नदी-जीवनदायिनी है, स्त्री भी जीवनदायिनी है। नदी के किनारे जीवन बसता है। परंपरागत नदी बस्तियां, नदी के किनारे गांव - स्त्री के आंचल में जीवन पलता है- नदी के सहारे फलता-फूलता है, मगर धीरे-धीरे हमने नदी के प्रवाह को रोका-तोड़ा-प्रदूषित किया- यही बात स्त्री जीवन की भी है। आज पानी का महत्व समझकर, हम फिर गंगा को निर्मल करने की, नदियों को जोड़ने की, साफ करने की बात करते हैं। वही बात स्त्री या नारी, इसलिए नहीं कि वे देश की आधी आबादी हैं, अपितु जीवनदात्री-निर्मात्री मातृशक्ति हैं, पर भी लागू होती है। मगर स्त्री को भी अपनी शक्ति का एहसास एवं अनुभव करना होगा। मैं अपनी बात का समापन श्रीमद्भगवद्गीता के इस श्लोक से करना चाहती हूं जिसमें भगवान श्रीकृष्ण अपनी विभूतियों को गिनाते हुए कहते हैं-

" कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा।"

यानी, नारियों में मैं कीर्ति हूं, श्री हूं, वाक् हूं, स्मृति हूं, मेधा हूं, धृति हूं और क्षमा हूं।

21. इन्हीं शब्दों के साथ मैं सम्माननीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय उप-राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधान मंत्री जी, बांग्लादेश की संसद की माननीय अध्यक्ष महोदया, विशिष्ट अतिथिगण और इस समारोह में आए सभी विशिष्टजनों का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करती हूं।
